न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या :264/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00017)

01. अंकेश परवाल पुत्र विनोद परवाल
02. गणेश परवाल पुत्र उत्तम चन्द (यूएचएफ) जरिये कर्ता हंसराज परवाल
03. श्रीमती रामजानकी परवाल (यूएचएफ) जरिये कर्ता कृष्ण कुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए 54, शास्त्री नगर, जयपुर राज.

——अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
02. तौफान पुत्र भूरा, जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर
03. सुवालाल पुत्र भूरा (मृतक), जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
    3/1. बनवारी लाल पुत्र स्वर्गीय सुवालाल, जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
    3/2. कैलाश पुत्र स्वर्गीय सुवालाल जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
    3/3. श्रीमती मंगली देवी पत्नी स्वर्गीय सुवालाल जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
    3/4. श्रीमती गीता देवी पुत्री बोदू राम जाति कुम्हार, निवासी आंकेडा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

04. केवलराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
05. मिठूराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
06. नानगराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
07. रामअवतार पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
08. मंगलचन्द पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर
09. मन्नाराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. तोताराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. बालूराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी चेतावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. नानग राम (फौत)
    12/1. श्याम लाल,
    12/2. मदन लाल,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

12/3. पूरणमल पुत्रान नानगराम,
12/4. गटठू देवी पत्नी नानगराम,
13. रामलाल पिता नारायण ज़ाति माली निवासी भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. बाबुलाल पिता नारायण जाति माली निवासी भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
15. बंशीधर पुत्र मांगीलाल
16. मांगीलाल (नाम हजब)
17. नारायण पुत्र महादेव (फौत)
17/1. श्रवण दत्तक पुत्र नारायण,
18. रामनिवास पुत्र मांगीलाल,
19. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल,
20. भंवर लाल पुत्र मांगीलाल,
21. राजकुमार पुत्र प्रताप जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बदनपुरा बीड तहसील आमेर जिला जयपुर।
22. कैलाश पुत्र प्रताप जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी बदनपुरा बीड तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 16.06.2016 (प्रकरण संख्या 48/18) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2014 एक प्रार्थना पत्र ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का खोरा श्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा संख्या 57, 58, 71/413, 73/414, 95/416, 95/417, 96/418, 58/411, 96, 97, 72, 73, 73/415, 74/400, 77/401, 78/402, 92, 93/398, 93/399, 94, 95 के बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2014 को हो चुका है तथा सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति की रिर्पोट मंगवायी गयी, व पुलिसकर्मियों की आवश्यकता बतायी गयी तथा पड़ौसी काश्तकारों की सूची पेश की गयी पड़ौसी काश्तकारों को जरिये सम्मन न्यायालय द्वारा तलब किया गया, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पत्थरगढ़ी बाबत नहीं की गयी, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2016 को न्याय आपके द्वार वर्ष 2016 कैम्प खोरा श्यामदास में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में न्याय आपके द्वार कैम्प खोरा श्यामदास हेतु किसी प्रकार के नोटिस भी जारी नहीं किये गये तथा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय में न्यायालय द्वारा मनमर्जी से की गयी है जो कार्यवाही विधि-विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरित जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही निर्णय पारित किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के केवल मात्र कयास के आधार पर यह मान लिया गया कि प्रकरण में कब्जा सम्बन्धी विवाद है, इस कारण इसकी पत्थरगढी नहीं की जा सकती है, जबकि अपीलान्टस् अपनी सीमाओं के बाबत पुख्ता निशानात कायम कराना चाहते है जिसके लिये कानून में अपीलान्ट को विधिक अधिकार प्रदत्त है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि न्याय आपके द्वार लोक अदालत में केवल मात्र राजीनामा व समझौते के आधार पर ही प्रकरण निस्तारित किये जाते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी पक्षकार की उपस्थिति में ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जो लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो स्पीकींग आदेश की परिभाषा में नहीं आने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 खारिज किया जाकर अपील में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 15, 18, 20 से 22 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा सम्बन्धी विवाद है, पत्थरगढी के माध्यम से आवेदक कब्जा लेना चाहता है तथा मौके पर अशान्ति होने की संभावना को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में जारी किया गया है किन्तु उक्त अपीलाधीन आदेश लोक अदालत की भावना के अनुरूप पारित नही किया गया है और ना ही उक्त अपीलाधीन आदेश गुणावगुण पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण सभी प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।